Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

<u>प्रथम अपील संख्या 128/2019</u>

डॉ. संदीप कुमार गुप्ता,
मकान नम्बर–1722, सेक्टर 14,
हिसार (हरियाणा) – 125001

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 08.03.2019
अपील में निर्णय की दिनांक 27.03.2019

<u>निर्णय</u>

अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2019 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 28.01.2019) के क्रम में कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्रांक F(1023)/RAJUVAS/Reg/RTI/2019/46 दिनांक 28.02.2019 द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2019 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 28.01.2019) प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2019 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 28.01.2019) के क्रम में कुलसचिव एवं लोक सूचना आधिकारी के पत्रांक 46 दिनांक 28.02.2019 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

Dr. Sandeep Kumar Gupta,
1722, Sector 14,
Hisar - 125001
Mob. - 9992931181

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंगः–आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2019 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 28.01.2019)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में बिन्दु सं. 01 से 04 का समेकित प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

Contd.

अ: 128/2019

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर
1	Please supply the Certified list of Faculty members/ teachers (with Complete qulification) of the affiliated colleges/institutes during the academic session 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 of the university available for teaching of B.V.Sc.&A.H. courses.	आपके द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों से सम्बंधित चाही जा रही सूचना के संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालय का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है अपितु महाविद्यालय एक सीमा तक ही विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन है अर्थात सम्बद्धता की हद तक प्रशासनिक नियंत्रण होता है तथा विश्वविद्यालय में तदनुसार ही निजी महाविद्यालयों के संबंध में अभिलेख संधारित किया जाता है। प्रासंगिक प्रार्थना पत्र से आप द्वारा जिस अनुसार सूचना चाही गयी है उस अनुसार विश्वविद्यालय के अभिलेखों में संधारित नहीं है। सूचना शब्द को धारा 2 (f) में परिभाषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की *धारा 2 (f)* में वर्णित *"सूचना"* की परिभाषा में निजी निकायो (Private bodies) के संबंध में यह प्रावधानित किया गया है कि : *"किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी (Publice authority) पंहुच हो सकती है।"* xxx धारा 2 (f) में वर्णित परिभाषा में *"पंहुच"* शब्द का तात्पर्य *"प्राप्त करना"* नहीं माना जा सकता क्योंकि विधायिका द्वारा *धारा 2 (j)* में वर्णित *"सूचना का अधिकार"* शब्द की परिभाषा से *धारा 2 (f)* में वर्णित परिभाषा को सीमित किया गया है। *धारा 2 (j)* में यह प्रावधान किया गया है कि : *"सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पंहुच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है, और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है :* *(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण* *(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, xxx* उपरोक्त धारा 2 (j) के बिन्दु (i) व (ii) का समेकित रूप से निर्वचन किए जाने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि सूचना का तात्पर्य अभिलेखीय सूचना से है जो कि लोक प्राधिकारी के अभिलेखों में है। लोक प्राधिकारी सूचना उसी सीमा तक उपलब्ध करवाने हेतु दायित्वाधीन है जिस सीमा तक सूचना उसके अभिलेखों में उपलब्ध है। यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि वांछित सूचना अभिलेखों में उपलब्ध होनी ही चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता संबंधी प्रावधानों के परीपेक्ष्य में ही निजी महाविद्यालय के संबंध में सूचना संधारित की जाती है। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय स्तर से किसी प्रकार का कोई वित्तीय अंशदान/सहायता नहीं दी जाती अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की *धारा 2 (h) (ii)* के प्रावधानों के अनुसार लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नही आता। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना हेतु निजी महाविद्यालय बाध्य नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा भी पूर्व में विभिन्न अपीलों यथा *अपील सं. 654/2011 श्री सुर्या मुद्गल बनाम रजिस्ट्रार, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर* में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2011 से तथा *अपील सं. 5881/2011 राकेश काला बनाम पंजीयक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर* में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 से भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि निजी निकायों पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते तथा लोक सूचना अधिकारी अपने अभिलेख में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवा सकता है। अतः आप द्वारा वांछित सूचना विश्वविद्यालय अभिलेखों में संधारित नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।
	Please Supply the list of Faculty members/teachers who have resigned of left the job due to any other reason in affiliated colleges/institutes (offering teaching for B.V.Sc.&A.H. degree) during the academic session 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19. Supply the date of resigning of leaving of job. Please also supply the copy of the resignation letter.	
3.	Please Supply the list of Faculty members/teachers who were recruited afresh or had joined in affiliated colleges/institutes (offering teaching for B.V.Sc.& A.H. degree) during the academic session 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19. Please supply the copy of the appointment orders issued from time to time.	
4	Please supply the Certified copy of the attendence registers maintained for marking attendence of students of B.V.Sc.&A.H. during various classes (theory as well as practical) of various courses at various affliated colleges/ institutes during the period from 01.09.2016 to 31.12.2018	

Contd.

अ. 128/2019

यदि उपरोक्त सूचना से आप संतुष्ट नहीं है तो पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा औरं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन–334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2019 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 28.01.2019) से प्रेषित प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। विश्वविद्यालय के पत्रांक F(अ.128/19)VCS/RAJUVAS/RTI/2018/71 दिनांक 19.03.2019 के द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 27.03.2019 नियत की गयी होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत तारीख पेशी को अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों से संबंधित सूचना जिस अनुसार चाही गई है उस अनुसार विश्वविद्यालय के अभिलेखों में संधारित नहीं है व लोक प्राधिकारी सूचना उसी सीमा तक उपलब्ध करवाने हेतु दायित्वाधीन है जिस सीमा तक सूचना उसके अभिलेखों में उपलब्ध हैं व यह भी अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय स्तर से किसी प्रकार का कोई वित्तीय अंशदान/सहायता नहीं दी जाती अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की **धारा 2 (h) (ii)** को प्रावधानों के अनुसार लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नही आते हैं व सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना हेतु निजी महाविद्यालय बाध्य नहीं हैं तथा माननीय राजस्थान सूचना आयोग द्वारा ***अपील संख्या 654/2011 श्री सुर्या मुद्गल बनाम रजिस्ट्रार, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर*** में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2011 में तथा ***अपील सं. 5881/2011 राकेश काला बनाम पंजीयक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर*** में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 में प्रतिपादित सिद्धांत कि "निजी निकायों पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते तथा लोक सूचना अधिकारी अपने अभिलेख में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवा सकता है" की ओर ध्यान आकर्षित कर अपीलार्थी/आवेदक को प्रत्युत्तर भिजवा दिया गया होना अवगत करवाते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही उचित है। अतः उक्त तथ्यों व आधारो पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर

P/C Attested.

कुलसचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर